न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 102 / 2024

अनवान : –

1. कविता पुत्री महावीर पत्नी सतपाल जाति वाल्मिकी साकिन वार्ड न. 24 रावतसर तहसील रावतसर ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. भगतुराम पुत्र भोमाराम जाति नायक साकिन ननाऊ तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र दीनाराम जाति वाल्मिकी साकिन वार्ड न. 24 रावतसर तहसील रावतसर।
3. पवन पुत्र महावीर जाति वाल्मिकी साकिन वार्ड न. 24 रावतसर तहसील रावतसर।
4. समीर पुत्र राकेश जाति वाल्मिकी साकिन वार्ड न. 24 रावतसर तहसील रावतसर।
5. साहिल पुत्र राकेश जाति वाल्मिकी साकिन वार्ड न. 24 रावतसर तहसील रावतसर।
6. लक्ष्मी पत्नी राकेश जाति वाल्मिकी साकिन वार्ड न. 24 रावतसर तहसील रावतसर।
7. एक्सिस बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **सायल**
श्री संजय जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 24/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख.न. 368 की 1.5810, 392 की 3.4780, 601 की 6.5760 कुल 11.6350 हैक्टेयर भूमि एवं ख.न. 720 की 3.5160, 814 की 3.7310, 815 की 2.8070, 816 की 2.0870 कुल 12.1410 हैक्टेयर भूमि का दीना पुत्र खुमाणा खातेदार कास्तकार था। दीना पुत्र खुमाणा खातेदार के फोत होने पर विवादित भूमि उनके वारीसान के नाम दर्ज हो गई उसके बाद दीना पुत्र खुमाणा के वारीसान ने विवादित भूमि का आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया जिसमें गैरसायल न. 2 को रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख.न. 951 / 601 की 1.6440, 956 / 814 की 1.2552, 961 / 816 की 0.4783 कुल 3.3775 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई थी।

सायला एवं गैरसायल न. 2 ता 6 संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न. 2 सायला एवं गैरसायल न. ३ का पिता एवं गैरसायल न. 4 ता 5 का दादा एवं गैरसायल न. 6 का ससूर है एवं परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जो गैरसायल न. 2 को विरासत में प्राप्त हुई है इस प्रकार विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें सायला [illegible] गैरसायल न. 4 ता 6 के पिता, पति राकेश का जन्म से ही विवादित भूमि मे अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक हिस्सा बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो गैरसायल न. 2 को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसमें सायला एवं गैरसायल न. 3 एवं गैरसायल न. 4 ता 6 के पिता, पति राकेश का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण सायला के खालेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायला विवादित भुमि जो अपने पिता को प्राप्त हुई में अपने 1/4 हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में विवादित भुमि अपने नाम अमल दरामद करवाने की अधिकारी है। विवादित भूमि पैतृक जदी जायदाद होने के कारण गैरसायल न. 2 विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा का हकदार हुआ लेकिन गैरसायल न. 2 से साजिसाना कार्यवाही कर. गुपचुप तरिके से विवादित सम्पूर्ण भूमि का बैयनामा दिनांक 18–1–2024 को गैरसायल न. 1 ने अपने पक्ष में उपपंजियक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवा लिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का होने के कारण सायला के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है जिसे शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर सायला अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा कर 1/4 हिस्सा भूमि अपने नाम अमल दरामद करवाने की अधिकारीणी है। गैरसायल न. 2 से साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से विवादित भूमि का बैयनामा दिनांक 18–1–2024 को गैरसायल न. 1 ने अपने पक्ष में उपपंजियक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवा लिया एवं उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को रहन बैय एवं मुतकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से संभव नहीं है इसलिये सायला, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा करवाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कि जावे कि वोह विवादित भूमि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख.न. 951/601 की 1.6440, 956/814 की 1.2552, 961/816 की 0.4783 कुल 3.3775 हैक्टेयर भूमि को रहन बैय एवं मुंतकिल ना करे एवं विवादित भूमि कि मोका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 779/207 की कुल 3.3775 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 व 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायला का विधिक रूप से अपने पिता एवं भाईयों के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता था स्वीकार है चुंकि उक्त पैतृक भूमि के बैचान से लगभग 6 माह पूर्व गैरसायल सं. 1 नें सायला को अपने घर बुलाया था और कहा कि बेटा कि उक्त कृषि भूमि के सम्बध में मैं कुछ महत्पूर्ण निर्णय लेना चाहता हूँ चुकि उक्त भूमि कम उपजाउ है लगभग बंजर किस्म की है तो क्यों न हम उक्त [illegible] बैचान करके अन्यत्र उपजाउ भूमि क्रय कर ले व मै इस भूमि को बैचान [illegible] के नाम भूमि खरीदकर देना चाहता हूँ जिससे भविष्य में मेरे मर[illegible] को लेकर कोई विवाद पैदा न हो। इस पर सायला ने अपने परिवार अन्य चाचा, ताउ भाई व अन्य मौतबीरान के समक्ष कहा था कि मुझे इस बात से कोई एतराज नही है मैं मेरे परिवार में सुखी सम्पन हूँ एवं उक्त भूमि में कोई हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा नही लेना चाहती है आप उक्त भूमि दोनो भाईयों व उनके परिवार को हक हिस्सानुसार दे दो और इस प्रकार सायला बरूवे मौखिक परित्याग किया था। सायला 1/4 हिस्सा की हकदार हैं पूर्णतया गलत है चूंकि सायला ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा का मौखिक परित्याग कर अपने परिवार व मौतबिरान के समक्ष पूर्व में कर दिया था। गैरसायल सं. 2 सायला के पिता ने अपनी सम्पूर्ण भूमि का बैयनामा 18/01/2024 को गैरसायल सं. 1 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया जो कि हक, हकुक से अधिक करवा दिया गलत एवं निराधार है चुंकि उक्त बैचान को गैरसायल सं. 2 ने अपने परिवार के सदस्यों से पूर्व सहमति से पूरा किया था रोही मौजा ननाउ बारानी तहसील नोहर की 3.3775 हैक्टर भूमि का बैचान कर प्रतिवादी सं. 2 ने रोही मौजा फोगला पटवार हल्का न्यौलखी तहसील पल्लू के ख.न. 77/103 की 5.6910 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 3 की पत्नि प्रियका पत्नि पवन व गैरसायल सं. 6 लक्ष्मी के बाद में वर्ष 2024 दर्ज करवा दी थी उक्त भूमि भी चूंकि पैतृक भूमि है और पैतृक सम्पति को बैचान कर खरीद की गई है जिसमें गैरसायलान सं. 2 ता 6 सायला को उसके हक हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा देंने को तैयार है कोई एतराज नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद भूमि में पूर्व में वादीया के दादा दीना के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा अप्रार्थी स0 2 से खरीद की गई है। अप्रार्थी स0 2 के नाम उक्त भूमि अपने पिता के देहान्त के बाद विरासतन दर्ज हुई है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा पूर्व में वाद भूमि सायला के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है एवं अप्रार्थी स0 2 द्वारा अपने हक हिस्सा का ही बेचान किया गया है या अपने हक हिस्सा से अधिक का बेचान किया गया है का निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना न्यायोचित है एवं अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि पैतृक सम्पति को बैचान कर खरीद की गई है जिसमें गैरसायलान सं. 2 ता 6 [illegible] हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा देने को तैयार है उक्त बिन्दु का निर्धारण भी मूल वाद में [illegible] न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है जो की अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा अप्रार्थी स0 2 जो की सायला का पिता है से खरीद की गई है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीया का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है या नही का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 779/207 की कुल. 3.3775 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested